माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश के क्रम में शहरी बेघरों को आश्रय व्यवस्था उपलब्ध कराने विषयक सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2014 को सूडा सभागार में अपराहन 01:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य एवं याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 13.11.2014 के अनुक्रम में विगत 21.11.2014 को मा0 केन्द्रीय मंत्री आवास एंवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में निर्माण भवन नई दिल्ली में आयोजित बैठक के क्रम में सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2014 को बैठक आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री अविनाश कृष्ण सिंह, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय।
2. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, सूडा।
3. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
4. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
5. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग।
6. श्री ए0पी0 तिवारी, उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
7. श्री राजीव मिश्रा, उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण क्रमकार बोर्ड, उ0प्र0।
8. श्री जे0पी0 सिंह, उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण क्रमकार बोर्ड, उ0प्र0।
9. श्री अरूण कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख हडको लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
10. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक हडको, लखनऊ।
11. श्री अरूण कुमार राणा, ए0जी0एम0, हडको, लखनऊ।
12. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
13. श्री मो0 तैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
14. श्री अनुराग मणि, लिपिक, सूडा।

2. बैठक में सर्वप्रथम सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया है प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़े आदेश पारित कर प्राथमिकता के आधार पर शहरी बेघरों को मूलभूत सुविधाओं सहित स्थाई आश्रय की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक ''शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना'' के अनुसार की जानी है। प्रकरण में राज्य सरकार के तरफ से मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ पत्र लगाया गया है जिसके दृष्टिगत सभी विभागों से सहयोग अपेक्षित है।

3. अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय की योजना में 50 अथवा 100 लोगों हेतु स्थाई शेल्टर होम का निर्माण किया जाना प्रावधानित है जिसमें प्रति शहरी बेघरों हेतु न्यूनतम 50 वर्गफिट का स्थान होना अपरिहार्य है। योजनान्तर्गत निर्मित किये

जाने वाले शेल्टर होम्स के संचालन का भी प्रावधान है जिसमें प्रतिवर्ष 6 लाख रूपये 5 वर्षों तक दिये जाने की व्यवस्था है। योजना में वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत 75% केन्द्रांश तथा 25% राज्यांश है। इस प्रकार शेल्टर होम के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि/अपग्रेड हेतु भवन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

4. संयुक्त निदेशक सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार में आयोजित बैठक उपरान्त प्रेषित कार्यालय टिप्पणी दिनांक– 22.11.14 के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर अस्थाई शेल्टर होम निर्मित किये जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि ज्वलन्त पदार्थ के न बने।

5. Prefabricated Material द्वारा किफायती शेल्टर होम बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है। Hindustan Prefabricated Limited, जो कि भारत सरकार की कम्पनी है, के द्वारा Prefabricated Material बनाये जा रहे हैं, से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस बैठक में Hindustan Prefabricated Limited को आमंत्रित किया गया था परन्तु उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये हैं उन्हें विस्तृत प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः आमंत्रित किया जायेगा।

5. श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों हेतु रैन बसेरा बनाये जाने का निर्णय सितम्बर 2009 में लिया गया था परन्तु वर्ष 2013 में उक्त लिए गये निर्णय को ड्राप कर दिया गया है। वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा संचालित कोई भी रैन बसेरा नहीं है।

6. औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन के श्री ए0पी0 तिवारी, उप सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई रैन बसेरा नहीं है।

7. क्षेत्रीय प्रमुख हडको द्वारा अवगत कराया गया कि हडको द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फण्ड (CSR) के तहत शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

8. बैठक में आपसी विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

i) हडको द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी फन्ड (CSR) के अन्तर्गत शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जो शहर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से आच्छादित नहीं है अथवा किसी शहर विशेष में 50 शहरी बेघरों से कम की संख्या हेतु भूमि/भवन की उपलब्धता के दृष्टिगत निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम का प्रस्ताव प्रथम वरीयता क्रम में निकायों द्वारा तैयार कर स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय हडको को प्रेषित कर स्वीकृत कराते हुए निर्मित कराया जाये। उक्त हडको से सहायता प्राप्त निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के संचालन एवं प्रबंधन का पूर्ण उत्तरदायित्व निकायों का होगा।

कार्यवाही – स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।

ii) बैठक में निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम हेतु निःशुल्क भूमि /भवन की उपलब्धता हेतु तत्काल प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को तत्काल अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही – राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0।

iii) श्रम विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग से भी अपेक्षा की गई कि खुले आसमान के नीचे रातों को रहने वाले मजदूरों हेतु क्षेत्र विशेष में आश्रय की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि वर्तमान में पड़ रही सर्दी एवं शीत लहरी से मजदूरों/श्रमिकों को बचाया जा सके। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त विभागों द्वारा शहर/नगरीय निकायों में संचालित शेल्टर होम के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगरीय निकायों से समन्वय कर श्रमिकों को शेल्टर होम में रहने के लिए प्रेरित करते हुए जानकारी भी दी जाये।

(कार्यवाही– श्रम विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग)

iv) वर्तमान में संचालित शेल्टर होम में शीतलहरी के दृष्टिगत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समुचित व्यवस्था निकायों द्वारा सुनिश्चित की जाय तथा शेल्टर होम में मजदूरों, रिक्शा चालकों आदि शहरी बेघरों को लाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किये जायें।

(कार्यवाही– स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0)

v) बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि किफायती आधार पर शेल्टर होम के निर्माण हेतु HPL नई दिल्ली को बुलाकर उनका प्रस्तुतीकरण शीघ्रताशीघ्र कराया जाय।

(कार्यवाही – राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, सूडा उ0प्र0)

vi) NULM के अन्तर्गत आच्छादित सभी शहरों में मानकों के अनुरूप योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निःशुल्क भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराकर शीघ्रताशीघ्र मिशन निदेशालय सूडा उ0प्र0 को स्वीकृत हेतु तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही – राज्य शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई, सूडा, उ0प्र0, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 एवं सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)।

vii) अवगत कराया गया कि बैठक में उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डल प्रबन्धकों को आमंत्रित किया गया था, परन्तु उनके प्रतिनिधि आज बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। इस पर विचार विमर्श में विगत दिनांक 21.11.2014 को केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में रेलवे स्टेशन के आस–पास कई संख्या में शेल्टर होम बनाये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के क्रम में निर्देशित किया गया कि रेलवे स्टेशन के आस–पास शेल्टर होम निर्मित किये जाने हेतु सम्बन्धित रेलवे, भूमि/अपग्रेड किये जाने वाले भवनो की सूचना तत्काल राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करा दें साथ ही शहर विशेष के अधिकारियों को भी मण्डल प्रबन्धकों द्वारा निर्देशित कर दिया जाय कि उक्त की सूचना वे सम्बन्धित शहरों/जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, नगर आयुक्त नगर

निगम, अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय/ सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, एवं परियोजना अधिकारी डूडा को उपलब्ध करा दें ताकि डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही– उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे, मण्डल लखनऊ)

****

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक– 3710 /241/NULM/तीन/2001(SUH)Voll-II दिनांक– 02/01/2015

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कौर्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, उद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
9. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
11. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ।
12. मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ।
13. क्षेत्रीय प्रमुख, हड़को लखनऊ।
14. निदेशक, हिन्दुस्तान प्री फैब्रीकेटेड लि0 नई दिल्ली।
15. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/संयुक्त निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प को सूचनार्थ।
16. श्री योगेश आदित्य सहा0 परियोजना अधिकारी/सहा0 वेब मास्टर सूडा को वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से

02/01/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक